(98)

न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक
(कैलाश चन्द्र शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15/2018
प्रविष्टि दिनांक 31.05.2018

1–रामलाल पुत्र लोडक्या जाति माली निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2–रतनलाल पुत्र लोडक्या जाति माली निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3–लादूलाल पुत्र गोकुल जाति माली निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक राज0
–अपीलान्ट्स

बनाम

1–गणेश लाल पुत्र माधोराम रेगर जाति रेगर निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक
2–तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0
–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद निर्णय न्यायालय तहसीलदार दूनी दिनाक 23.03.2015 मि0न0 01/2014 उनवानी गणेश लाल बनाम बद्रीलाल

उपस्थिति : (1) श्री बंसती लाल चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री जितेन्द्र जैन अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 26.07.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार दूनी द्वारा दिनांक 23.03.2015 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 177 रकबा 1.46 है0 वाके ग्राम जलसीना पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण मे अभिभाषक अपीलाण्ट्स व अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार दूनी ने निर्णय दिनांक 23.03.2015 द्वारा अपीलाण्ट्स का अनाधिकृत कब्जा मानते हुये रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि ख0नं0 177 रकबा 1.46 है0 वाके ग्राम जलसीना पर से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स विवादित भूमि पर लगभग 40–50 वर्षो से बुजर्गो के समय से ही काबिज चला आ रहा था, इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 ने राजस्व विभाग मे पटवारी के पद पर नोकरी करते हुए वर्ष 1977 मे खसरा नम्बर 4 मे से 4 वीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा चुपचाप मिलीभगत कर के आवंटन करा लिया था और उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 4/1 तथा भू प्रबन्धन कार्य के बाद नये नम्बर 177 रकबा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

825

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

1.76 है0 वाके ग्राम जलसीना हुआ है। पटवारी हल्का जूनिया ने भू–आवंटन नियम 1977 के नियमो की पालना नही की है और आवंटन फार्म पर राजकीय कर्मचारी होना भी अंकित नही किया है,जबकि 1977 मे रेस्पो0 संख्या 1 ग्राम पांहूना तहसील रासमी जिला चितोडगढ मे कार्यरत था। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 राजकीय सेवा मे होने के कारण आवंटन कराने का अधिकारी नही था और पटवारी हल्का ने उक्त आवंटन आवेदन पत्र पर मौके की स्थिति के अनुसार अपीलांट के कच्चे व पक्के मकान निर्माण बाबत कोई टिप्पणी नही की है। विवादित खसरा नम्बर पर अपीलांट के जानवरो के बांधने हेतु बाडे,पानी के टेंक आदि बने हुए थे और अपीलांट्स अपने पिता के समय से ही अपने मवेशियो सहित ही निवास कर रहे थे,जिसे ग्राम जलसीना मे अलमशहूर मालियो की ढाणी से जाना जाता है और अपीलांट्स और उनके पूर्वजो के नाम भी मतदाता सूचि मे उक्त ढाणी मे अंकित है। विवादित भूमि पर अपीलांट्स व अपीलांट्स के पूर्वजो का कब्जा होने से रेस्पो0 संख्या 1 को आंवटन के बाद कब्जा सुपुर्दगी मे नही दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 1977 से 2012 तक उक्त भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी दर्ज रही है। तहसील देवली मे भू–प्रबंधक के समय विवादित खसरा नम्बर की मौका रिपोर्ट गवाहान के समक्ष तैयार किया गया था,जिसके कॉलम संख्या 25 मे आवंटी का कब्जा नही होना और ना ही काश्त जोतना दर्ज किया है। इस प्रकार रेस्पो संख्या 1 का उक्त खसरा नम्बर पर सेटलमेन्ट के समय तक किसी तरह का कब्जा नही था और ना ही अभी है। रेस्पो संख्या 1 ने कर्मचारी होने के कारण पटवारी हल्का जूनिया से मिलिभगत कर दिनांक 07.06.2012 को बिना मौका देखे ही व अपीलांट के मकान को दर्शाये बिना व ग्राम पंचायत के नोटिस मे लाये बगेर बिना किसी अधिकार से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये है और क्षेत्रफल बढने बाबत कोई अपनी रिपोर्ट भी नही दी है,जबकि अपीलांट के अलावा अन्य व्यक्तियो के मकान भी बने हुए है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त स्थल पर काफी समय पूर्व से ही आबादी बनी हुई है। रेस्पो. संख्या 1 ने रेस्पो. संख्या 2 के समक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि को स्वर्ण जाति से खाली कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है,परन्तु अपने आवेदन मे यह अंकित नही किया है कि उक्त भूमि पर क्या बना हुआ है तथा रेस्पो0 संख्या 2 ने भी ग्राम पंचायत जूनिया से उक्त भूमि के सबंध मे कोई रिपोर्ट नही ली है। अपीलांट के मकानात कच्चे पक्के मकान व बाडे बने हुए बाबत अन्य पटवारी ने रिपोर्ट दी है और रेस्पो0 संख्या 2 ने आंवटन से अब तक के काश्त करने बाबत कोई रिकार्ड भी नही मंगवाया है और ना ही कोई गवाहान के बयान लिये है तथाकथित निर्णय एक तरफा मे पारित किया गया है। अपीलांट को बेदखल करने का आदेश प्राप्त होने पर अपीलांट ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश दूनी के समक्ष वाद उनवानी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवान बद्रीलाल आदि बनाम गणेश लाल आदि प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना निष्पक्ष जांच करे निर्णय पारित किया है। अपीलाट्स का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 गरीब,भूमिहीन,ग्रामीण,अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसको वादग्रस्त भूमि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण कानूनी तथा आज्ञापक औपचारिकताऐ पूर्ण कर ग्राम जलसीना तहसील देवली हाल दूनी मे दिनांक 28.10.1977 को विधिक रूप स आवंटन कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

(180)

कब्जा सुपुर्दगी मे दिया गया है उक्त आवंटन के आधार पर ही रेस्पो0 के पक्ष मे नामान्तकरण संख्या 206 तस्दीक किया गया था। विवादित भूमि पर अपीलांट्स ने रेस्पो0 की अनुपस्थिति मे नाजायज रूप से कब्जा कर लिया तथा अतिक्रमी के रूप मे जबरन ताकत के बल पर काबिज है जबकि उनको रेस्पो0 की भूमि पर काबिज रहने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण रेस्पो0 ने तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 टि0एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रस्तुत किया किया जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अपीलांट के विरूद्व वादग्रस्त भूमि से उनको बेदखल करने तथा कब्जा रेस्पो0 को सुपुर्द करने के लिए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय को केवल इस प्रकरण धारा 183 बी राज0 टि0 एक्ट के तहत दिये गये प्रावधानो के अनुसार ही उनकी हद तक देखना है। इस प्रकरण मे अतिक्रमी के कब्जे तथा नॉन ए.सी. के व्यक्तियो के अतिक्रमण पर विचार नही किया जा सकता तथा वर्ष 1977 मे किये गये रेस्पो0 के पक्ष मे आवंटन को चुनोती नही दी जा सकती है उक्त आवंटन की वैधता पर विचार करना इस प्रकरण मे न्यायाालय के लिए अपेक्षित नही है क्योकि यह नियम 14(4) नियम 1970 के आवंटन रूल्स के तहत आवंटन के विरूद्व कार्यवाही नही है बल्कि धारा 183 बी के तहत तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील है। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील मीमो मे अंकित किया है कि रेस्पो0 आवंटन के समय राजकीय सेवामे था। इस संबध मे यधपि यह प्रश्न इस प्रकरण मे निर्णित नही किया जा सकता,परन्तु फिर भी यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रेस्पो0 की राजकीय सेवामे मे नियुक्ति अस्थायी तोर पर पटवारी के पद पर राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के पत्र क्रमांक 4424–70 दिनांक 27.06.1983 द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार जिलाधीश (भू–अभिलेख)चितोडगढ के आदेश क्रमांक 153/1983 दिनांक 04.07.1983 को रेस्पो0 को नियुक्ति दी गई है उक्त आदेश की फोटो प्रति पत्रावली मे संलग्न है। अपीलांट्स के इन कथनो का भी कोई महत्व नही है कि उनका व उनके पूर्वजो का विवादित भूमि पर 40–50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा हो और उन्होने मकानात,बाडे,पानी का टेंक आदि बना रखे हो और उनका कब्जा हो,अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर इन सब बातो का तहत कानून कोई महत्व नही है। अतिक्रमी को कभी भी प्रोटेक्ट नही किया जा सकता जब तक भूमि को धारा 92 ले0रे0एक्ट के तहत सेटे–ए–पार्ट करके आबादी मे दर्ज नही करदी जाती है। कृषि भूमि को कृषि से हटकर अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग मे लिये जाने मात्र से उसकी प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है। रेस्पो0 को आवंटित की गई भूमि आवंटन के समय सिवायचक भूमि थी और खसरा चौसाला की नकल सम्वंत 2065–2072 तक रेस्पो0 का कब्जा काश्त दर्ज है। रेस्पो0 को खातेदारी नियमानुसार दी गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 09/2015 को माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश दूनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 को खारिज किया गया जा चुका है। प्रकरण मे प्राप्त मौका निरीक्षण तथा फोटोग्राफी का कोई महत्व नही है। प्रकरण अन्दर मियाद प्रस्तुत होना चाहिए।अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है। अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2014 पृष्ठ संख्या 492 उद्वरित किये है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2072–2075 वाके ग्राम जलसीना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

827

Scanned by CamScanner

तहसील दूनी मे ख0नं0 177 रकबा 1.46 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट गणेश पुत्र माधो कोम रेगर की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स सामान्य जाति के सदस्य है तथा रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है की खातेदारी की उक्त भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो मे बार–बार आवंटन का जिक्र किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश दूनी मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 से अस्वीकार किया गया है। न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपील के सबंध मे ही निर्णय किया जाना है न कि आवंटन के संबंध मे। अपीलाण्ट्स का अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अपीलांट्स को यदि आवंटन के संबंध मे किसी तरह की आपत्ति हो तो नियमानुसार सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 23.03.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner